न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 26/2023 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–1500)

राजस्थान सरकार जरिये कंवरपाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर –प्रार्थी

बनाम

1. योगेन्द्र नागपाल पुत्र श्री प्रीतम दास नागपाल(विक्रेता) मैसर्स बाबा होलसेल भण्डार, पुलिस थाना रोड़ अनूपगढ़।
2. रजत नागपाल पुत्र श्री योगेन्द्र नागपाल (मालिक) मैसर्स बाबा होलसेल भण्डार, पुलिस थाना रोड़ अनूपगढ़।
3. कुशाल चन्द्र बजाज पुत्र श्री दिवान चन्द बजाज (प्रोपराइटर थोक विक्रेता) मैसर्स मोहन किरयाना स्टोर, तहसील बाजार गेन बाजार, अनूपगढ़। –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।) 51–52 **FSSA Act 2006**

निर्णय दिनांकः– 21.10.2024

यह इस्तगासा **तत्कालीन** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 51, 52 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा मे वर्णित तथ्य इस प्रकार है.– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **लक्ष्मीकांत गुप्ता** दिनांक **20.04.2022** को समय दोपहर **2:00 बजे** बजे पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **बाबा होलसेल भण्डार पुलिस थाना रोड़ अनूपगढ़** का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री योगेन्द्र नागपाल पुत्र श्री प्रीतम दास नागपाल (विक्रेता)** को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर दुकान पर रखे **वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट)** के बारे में जानकारी चाही। अप्रार्थी योगन्द्र नागपाल स्वयं को विक्रेता बताया। दुकान के रैंक पर रखी 1–1 किलोग्राम के 30 पैक जार डिब्बे **वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया ।

तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट) कुल 30 पैक जार डिब्बे 1–1 किलोग्राम को** खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। इसी **वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट)** शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 पैक डिब्बों 1–1 किलोग्राम के खाद्य पदार्थ नमुने वास्ते लिये। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **वनस्पति ((वीर सम्राट लाईट फेट)** का नगद **भुगतान 800** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं और तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चारों मूल जार पेक डिब्बों पर लेवल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेवल चिपकाए एवं लेवलो पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक नम्बर **के–1500** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्तारक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एव विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के–1500 नियमानुसार चारो नमुनों भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमुना भाग को धागे से बॉधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर आयें एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी खाद्य पदार्थ का विवरण **के– 1500 वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट)** लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमुना भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता, विक्रेता एवं गवाहान मौके पर पढ़कर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे योगेन्द्र नागपाल एवं गवाहान ने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे मे बद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म स0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी** श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक **FSSA/2022/388-89** दिनांक 09.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट क्रमांक **L.S./619/Act/2022/619** दिनांक 28.04.2022 अनुसार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

जो नमुना **Sub Standard& Misbranded Food** होना पाया गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिर्पोट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक सामान्य/2023/17694–95 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढाने एवं माननीय न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खा.सु.ओ.नि./स.सी./2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह को उक्त प्रकरण को सस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक 1491–92 दिनांक 19.10.2023 सांस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थीगण द्वारा वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट) **Sub-standard & Misbranded Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51–52 में निर्धारित है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें ताक जनहित में अमानक स्तर(सबस्टैण्डर्ड व मिथ्याछाप) के खाद्य पदार्थो का निर्माण व विक्रय पर अकुश लग सके।

अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री सोमदत्त कच्चोरिया उपस्थित हुए व अपना जवाब पेश किया। जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया। बिन्दु संख्या 01 स्वीकार है बिन्दु संख्या 02 खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जबरदस्ती अपनी मनमर्जी से सील बंद पैकिंग से सैम्पल लिया गया है। उक्त वनस्पति तेल/घी के अप्रार्थीगण निर्माता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा बेचान किया जाता है। बिन्दु संख्या 3 जिस प्रकार से ये मद अंकित है रिकॉर्ड तथ्य है। बिन्दु संख्या 04 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। अप्रार्थीगण केवल मात्र उक्त वनस्पति के विक्रेता हैं, निर्माता नही है। बिन्दु सं. 06 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 अज्ञानता के कारण अस्वीकार है। । बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार है। अप्रार्थीगण केवल मात्र उक्त वनस्पति के विक्रेता है। अप्रार्थीगण उक्त वनस्पति के निर्माता नहीं है। कानूनन सैम्पल की कार्यवाही उक्त वनस्पति निर्माता कम्पनी से की जानी चाहिए। बिन्दु संख्या 09 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 10 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 11 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 12, 13 व 14 अज्ञानता के कारण अस्वीकार है। बिन्दु सं. 15 अप्रार्थीगण का नाम पता दर्ज होनो स्वीकार हैं शेष अस्वीकार है। प्रकरण से संबंधित उक्त जप्तशुदा समान/वस्तु का निर्माण नहीं किया गया तथा ना ही उसकी पैकिंग प्रार्थी द्वारा की गई बल्कि जप्तशुदा समान/वस्तु श्री नाथ कृपा फुड प्राईवेट लिमिटेड नोखा से खरीद की गई थी तथा पैकेज्ड हालात में ही उसका विक्रय किया है। उक्त वनस्पति वीर सम्राट लाईट फेट के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड या अपमिश्रण नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी उक्त अपराध में लिप्त नहीं होने के कारण दोषमुक्त होने के योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा जवाब के साथ किसी कंपनी का बिल पेश नहीं किया गया है। खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विशलेषक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट) **Sub-standard & Misbranded Food** पाया गया है तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट) में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा मे दर्ज नही किया गया है।

बहस गैरसायल प्रार्थी प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 से वनस्पति (वीर सम्राट लाईट फेट) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उलंघन करते हुए नमुना के–**1500 Sub-standard & Misbranded Food** पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2)(।।) 51–52 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर गैरसायलफर्म 1. योगेन्द्र नागपाल पुत्र श्री प्रीतम दास नागपाल(विक्रेता) मैसर्स बाबा होलसेल भण्डार, पुलिस थाना रोड़ अनूपगढ़ 2. रजत नागपाल पुत्र श्री योगेन्द्र नागपाल (मालिक) मैसर्स बाबा होलसेल भण्डार, पुलिस थाना रोड़ अनूपगढ़ 3. कुशाल चन्द्र बजाज पुत्र श्री दिवान चन्द बजाज (प्रोपराइटर थोक विक्रेता) मैसर्स मोहन किरयाना स्टोर, तहसील बाजार मेन बाजार, अनूपगढ को रू 200000 /– रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 21.10.24 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

Scanned with OKEN Scanner